झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

सी एम पी संख्या 769/ 2019

1. आदित्य प्रताप मिश्रा, पिता- दिवंगत भगवती मिश्रा
2. (क) अरविन्द पाठक, पिता स्वर्गीय सतीश चंद्र पाठक

   (ख) असीम कुमार पाठक, पिता स्वर्गीय सतीश चंद्र पाठक के बेटे

   (ग) प्रतिमा पांडा, पिता स्वर्गीय सतीश चंद्र पाठक की बेटी
3. संतोष कुमार राउत, पिता स्वर्गीय सतीश चंद्र राउत
4. धीरेंद्र नाथ महतो, पिता स्वर्गीय लाल बिहारी महतो
5. चित्तरंजन महांती, पिता स्वर्गीय बिमलानंद महांती
6. खेपरम महतो, पिता स्वर्गीय सनातन महतो
7. कमला कांता मिश्रा, पिता स्वर्गीय जुगल किशोर मिश्रा
8. भास्कर तिवारी, पिता मोहिनी मोहन तिवारी के बेटे
9. ठाकुरदास महतो, पिता स्वर्गीय गिरीश चंद्र महतो
10. बेलारनी महतो, पिता दिवंगत सुधीर कुमार महतो ,

.....याचिकाकर्ता

.....

- बनाम -

1. झारखंड राज्य
2. माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, रांची
3. जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर, चाइबासा

5 प्रधानाध्यापक, आदिबासी हाई स्कूल, बंगूरदा, पूर्वी सिंहभूम

.....प्रतिवादी

.....

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिए: डॉ. एच. वारिस, अधिवक्ता

प्रतिवादी राज्य के लिए: श्री संदीप वर्मा, अधिवक्ता

.....

3/दिनांक: 12/02/2021:- डॉ. एच. वारिस, याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील और श्री संदीप वर्मा, प्रतिवादी राज्य के विद्वत वकील को सुना।

इस सिविल विविध याचिका को COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है।किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को मेरिट के आधार पर सुना गया है।

यह सिविल विविध याचिका रिट याचिका के याचिकाकर्ता संख्या ३ और ८ के नाम को हटाने के लिए दायर की गई है।

डॉ एच वारिस, याचियों की ओर से पेश होने वाले विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका में तर्क के दौरान, याची संख्या ३ और ८ के कानूनी वारिसों और उत्तराधिकारियों द्वारा दोनों याचियों की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं किया गया था.

वह प्रस्तुत करते है कि आदेश प्राप्त करने के बाद याची संख्या ३ और ८ के कानूनी वारिसों और उत्तराधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि याची संख्या ३ की मृत्यु २३. ०९. २०१८ को हुई और याची संख्या ८ की मृत्यु १०. ०३. २०१६ को हुई. वह प्रस्तुत करते है कि यह सिविल विविध याचिका को याचिकाकर्ता नं. ३ और ८ का नाम रिट याचिका के कारण शीर्षक से हटाने के लिए दाखिल की गई है.

प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वत वकील निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि यदि ऐसा हुआ है, तो याचियों के जोखिम पर सी. एम. पी. की अनुज्ञात की जा सकती है.

इस तरह के निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि यह याचिकाकर्ता के विद्वत वकील को रिट याचिका में आदेश पारित करने के बाद रिट याचिका की संख्या ३ और ८ की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया था, यह सी. एम. पी. अनुज्ञात की जाती है.

याचिकाकर्ता संख्या ३ और ८ का नाम रिट याचिका से हटाने का निर्देश दिया जाता है.

अब याचिकाकर्ता संख्या ३ और ८ का नाम रिट याचिका से हटा दिया गया माना जाता है.

डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1019/ 2014 में पारित 19.06.2019 के आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

इस आदेश को 19.06.2019 के आदेश के हिस्से के रूप में माना जाए।

सी. एम. पी. संख्या 769/ २०१९ की अनुमति दी गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता संख्या ३ और ८ के कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी, यदि सलाह दी जाती है, तो, मृतक-याचिकाकर्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं.

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)

सत्यार्थी/-